संo–1280/XXVIII (3) 2004–02/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 23 मार्च , 2005

विषय: राजकीय एलो० चिकि० नौटी, जनपद चमोली के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0–7प /1/ एस.ए.डी./25/2004/29541 दिनांक 20.12.2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलो० चिकि० नौटी जनपद चमोली के भवन निर्माण हेतु रू0 38,37,000=00 (रू0 अड़तीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष मे व्यय हेतु रू0 15,000.00(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियो के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन को जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवनो के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91–जिला योजना 9104–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी०एम०एन 15के अनुसार लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001– निदेशन तथा प्रशासन 03–चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य की बचतों से वहन किया जायेगा ।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०– 1394/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 5.3.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं०–1280/XXVIII (3) 2004–02/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।

3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, चमोली ।
5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
6- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल
7- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अनुदान सं0-12 उत्तरांचल, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , आयुर्वेद होम्योपैथिक तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-जिला योजना 9104-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			(क) चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण योजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। (ख) राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण योजना के अन्तर्गत कम बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।
30000	-	5000	23000	1500	9000	28500	
योग- 30000	-	5000	23000	1500	9000	28500	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या वित्त अनु0-2/2004
देहरादून : दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

(एल0एम0 पंत)
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

सं0-1280/XXVIII(3)-2004-02/2005 दिनांक तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव